रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1993/फाल्गुन 18, 1914
No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1993/PHALGUNA 18, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

(राजपत्र विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1993

आ. आ. सं. (अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार [illegible] अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व विभाग के विशेष सचिव (स्वापक) को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा. सं. 820/2/90--नि. अ. व्या. स्वा.]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 1993

S. O. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Special Secretary (Narcotics), Department of Revenue, Government of India, for the purpose of the said section.

[F. No. 820/2/90-PITNDPS]

A. K SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993